उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0-07/2016

इलाहाबाद बैंक, रॉची बनाम मेसर्स कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स
एवं मेसर्स जय बजरंग स्टोन के प्रो0 मनोज कुमार।

आदेश

08.5.17

Chief Manager cum Authorised Officer 2nd Floor, Paras Complex, Allahabad Bank Zonal Office Premises, Circular Road, Ranchi के द्वारा Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 (1&2) के अन्तर्गत विपक्षीगण पर यह वाद दायर किया गया है।

आवेदन पत्र में अंकित है कि मेसर्स कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स, मनोज कुमार, चन्द्रशेखर, बिरेन्द्र स्वर्णकार, विजय स्वर्णकार, सच्चिदानन्द प्रसाद सभी पिता-स्व0 जगरनाथ स्वर्णकार, ग्राम व पोस्ट-जयनगर, जिला-कोडरमा द्वारा इलाहाबाद बैंक, रॉची से 15,00,000/-(पन्द्रह लाख) रू0 ऋण लिया गया जो दिनांक 24.02.2016 तक सूद सहित 58,25,378/-(अठावन लाख पच्चीस हजार तीन सौ अठहतर) रू0 ऋण की राशि नहीं चुकायी गई।

मेसर्स जय बजरंग स्टोन के प्रो0 मनोज कुमार एवं 04 अन्य द्वारा इलाहाबाद बैंक, रॉची से ही 10,00,000(दस लाख) रू0 (CC) एवं 4.16 लाख (TL) लिया गया था जो दिनांक 24.02.16 तक 39,62,000/-(उनचालीस लाख बासठ हजार) रू0 दोनों की कुल राशि-97,87,378/-(संतानब्बे लाख सतासी हजार तीन सौ अठहतर) रू0 सूद सहित भुगतान नहीं करने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है।

बैंक में Mortgaged Property के रूप में रखी गयी भूमि मौजा-जयनगर, थाना-जयनगर, थाना नं0-81, खाता नं0-232, प्लॉट नं0-5080, रकवा-07डी0 एवं खाता नं0-232 के प्लॉट नं0-5160, रकवा-2.75डी0 तथा मौजा-भिखुडीह के खाता नं0-03, प्लॉट नं0-08, रकवा-0.52डी0 का Physical Possession दिलाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी मनोज कुमार, मालिक कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स की ओर से आवेदन इस प्रकार है:-

1. विपक्षी ने वर्ष 2007 में बैंक से 15,00,000/-(पन्द्रह लाख) रूपये का लोन लिया था जिसके एवज में विपक्षी ने चार केवाला का कागज बैंक में जमा किये थे एवं 2,00,000/-(दो लाख) रूपये अपने सेविंग खाता नं0-103290 से रूपये निकाल कर इलाहाबाद बैंक के पास फिक्स किया था किन्तु बैंक के द्वारा 2009 से विपक्षी के एकाउन्ट का ब्यौरा दिया गया है जो कि अधुरा है। आवेदक कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स एकाउन्ट का पूर्ण ब्यौरा वर्ष 2007 से जनवरी 2017 तक का देने का आदेश पारित किया जाय।
2. विपक्षी द्वारा कर्ज लेते समय जो 2,00,000/-(दो लाख) रूपये की राशि इलाहाबाद बैंक में फिक्स किया गया था उसका जिक्र नहीं है विपक्षी अपने सेविंग एकाउन्ट का नं0-103290 संलग्न कर रहे है।
3. विपक्षी कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के द्वारा खाता संख्या-400044 से निकासी किया गया रूपये का ब्यौरा 23-08-2008 तक का है इसके बाद के निकासी का ब्यौरा आवेदक द्वारा नहीं दिया गया है जो कि आवेदक के कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है तथा विपक्षी को जान-बूझ कर परेशान करने का मंशा स्पष्ट होता है।
4. विपक्षी मनोज कुमार के द्वारा इलाहाबाद बैंक का आरोप है कि उसने जय बजरंग स्टोन के नाम से बैंक से 2007 के बाद ऋण लिया था जिसका विस्तुत जानकारी खाता नं0-2113064471 के द्वारा वर्ष 2009 से 2017 तक दर्शाया गया है। इस मद में विपक्षी मनोज कुमार के द्वारा जानकारी वर्ष 2013 से आज तक मांगी जा रही है कि जय बजरंग स्टोन को ऋण मुहैया कराते समय कौन सा सम्पति बैंक के पास गिरवी रखा गया था उसका कोई जिक्र या विस्तृत ब्यौरा आवेदक बैंक के द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि बैंक द्वारा दिनांक 31-12-10 को नोटिश कर विपक्षी से 50,83,558/- (पचास लाख तिरासी हजार पांच सौ अठावन) रूपये की मांग किया गया था।

C.C. No 16 20.5.17

C.C. No 25 19.7.17

5. विपक्षी मनोज कुमार, मालिक कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के द्वारा खाता संख्या–400044 का छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है जो कि विपक्षी द्वारा जमा एवं निकासी किया गया रकम का ब्यौरा है।

6. बैंक द्वारा जय बजरंग स्टोन के खाता नं0–21130646471 का जो स्टेटमेन्ट न्यायालय में दाखिल किया गया है उससे इस मुकदमें या कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के मालिक मनोज कुमार का कोई सरोकार नही है। इस प्रकार बैंक का यह आरोप विपक्षी को पुनः जय बजरंग स्टोन के नाम से 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) रूपये का ऋण दिया गया गलत वो बेबुनियाद है।

7. विपक्षी कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स मनोज कुमार पिता स्व0 जगन्नाथ स्वर्णकार के द्वारा वर्ष 2007 में लिये गये 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) रूपये के एवज में विपक्षी ने कुछ ऋण राशि वापस किये है जिसका विस्तृत जानकारी बैंक के द्वारा नही दिया गया है जो कि इलाहाबाद बैंक, रांची के मनमानी वो विपक्षी को नाहक परेशान करने की मंशा को दर्शाता है।

8. विपक्षी मनोज कुमार, मालिक कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के नाम पर ऋण लिये जाने वक्त जो चार केवाला का कागजात इंजीनियर श्री राकेश रंजन का संपति संबंधी एग्रीमेन्ट की कॉपी, इलाहाबाद बैंक द्वारा दिया गया 18–12–15 एवं अन्य तारीख का नोटिश, समाचार पत्र का कटींग जिसके माध्यम से निलामी करने का खबर छपा था उसका छायाप्रति राष्ट्रीय लोक अदालत के नोटिश का फोटो कॉफी, बैंक में जमा किये गये डिपोजिट स्लीप का फोटो कॉपी, इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर किया गया मुकदमा का फोटो कॉपी, विपक्षी द्वारा दिनांक 20.01.16 को इलाहाबाद बैंक में दिया गया आवेदन का फोटो कॉपी, विपक्षी मनोज कुमार के द्वारा सचिव झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन डोरण्डा रांची को दिनांक 23–11–13 को दिया गया आवेदन का फोटो कॉपी एवं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2013 में दो बार मांगे गये एकाउन्ट का विस्तृत जानकारी संबंधित आवेदन का फोटो कॉपी इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

9. विपक्षी मनोज कुमार, मालिक कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के द्वारा इलाहाबाद बैंक से सिर्फ एक बार वर्ष 2007 में 15,00,000/–(पन्द्रह लाख) रूपये का ऋण लिया गया था जिसके एवज में विपक्षी चल सम्पति 2,00,000/–(दो लाख) रूपये एवं अचल सम्पति कुल कीमत 13,51,000/–(तेरह लाख एकावन हजार) रूपये की संपति बैंक के पास गिरवी रखे है तथा समय–समय पर ऋण की कुछ राशि विपक्षी द्वारा इलाहाबाद बैंक को अदा किया गया है।

10. आवेदक द्वारा अतिरिक्त राशि नाजायज तरीके से वसूल करने के लिए एक अलग ऋण जय बजरंग स्टोन के नाम से न्यायालय में दाखिल किया गया है जिसका संबंध विपक्षी मनोज कुमार से नहीं है और ना ही मनोज कुमार पिता स्व0 जगन्नाथ स्वर्णकार द्वारा अलग से किसी ऋण के लिए आवेदन दिया गया है।

11. विपक्षी मनोज कुमार हमेशा कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के लिए लिया गया ऋण राशि बैंक को भुगतान करने के लिए तैयार है यदि बैंक मनोज कुमार द्वारा जमा किया गया राशि को घटाकर खाता का विस्तृत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है।

विपक्षी कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स के खाता नं0–400044 का विस्तृत जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर बैंक के द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत् है:–

1. That as demanded by the opposite parties account statements from 2007 to 2008 for the accounts of opposite parties in 6 pages is enclosed herewith this petition and the other objections of the opposite parties are not maintainable here in this court and the same irrelevant issues are raised just to delay the proceedings of the court.

Scanned with CamScanner

2. That the opposite party has wrongly alleged that bank has not provide account statement to him, this totally denied by the bank, because they have received all documents including account statements were filed by the bank in DRT court and the same were duly received by the opposite parties and on the basis of documents and complete account statements DRT court has passed his orders.
3. That copy of order dated 14.07.16 passed by DRT court is filed and in the recoreds of the court. Paragraph 10 of the said order is very clear which says that loan and default are all admitted and in paragraph no. 11 competent court has ordered for sale of mortgaged property of the borrower/guarantor for the recovery of dues of bank with cost, interest and charges.
4. That a copy of order of Supereme Court in CA no. 1217 & 1218 of 2013 is also filed by the bank on previous date paragraph 14,25,36 &37 are quite relevant to the case.

It is therefore prayed that your honour may kindly reject the baseless objections of respondent as it is likely to harm the interest of institution and recovery of public money and also it has no merit and pass necessary order under sec.14 of the act and for this act of kindness the respondent bank shall ever prey.

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के द्वारा लिखित मंतव्य निम्न है–

1. That the instant case has preferred by the petitioner on failure to pay the dues loan by the Opp. Party and the loan declared NPA by the petitioner under section 13, 13 (2) and 13(4) of the Sarfaesi Act and accordingly notice issued by the bank under section 13(4) of th above said act and requested the borrower to discharge in full of his liabilities within sixty days failing which the petitioner is entitle to exercise all or any of the rights u/s. 13(4).
2. That the petitioner has justified his notices and according to the Opp. Party member there is difference in outstanding amount and it is also stated by the Opp. Party member that he has taken only one loan and the petitioner is demanding the outstanding of two separate loans.
3. That it is further stated by the petitioner that they have complied all the norms and condition according to the Sarfaesi Act which reflects from the perusal of the record and hence the Opp. Party should have knock the door of Debt Recovery Tribunal on the above issues and in this court there is nothing to look after such type of abjection regarding loan amount or typoe of loans.
4. That according to the Sarfaesi Act, Protection in taking physical Possession may be given to the petitioner.

अतः मैं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों और इलाहाबाद बैंक, रांची के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् संतुष्ट हूँ कि SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप मेसर्स कुमार ट्रेडर्स एण्ड सन्स एवं मेसर्स जय बजरंग स्टोन के प्रो0 मनोज कुमार द्वारा इलाहाबाद बैंक, रांची से लिये गये ऋण एवं उधार को चुकता करने हेतु उनके द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बन्धक सम्पति को कब्जे (Possession) में लेने और इसे Secured Creditor इलाहाबाद बैंक, रांची को अग्रसारित करने के पर्याप्त साक्ष्य एवं कारण मौजूद है। अतः SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (2) के अन्तर्गत इसको कब्जा में लेने और इसे Secured Creditor को अग्रसारित करने का आदेश देता हूँ।

इलाहाबाद बैंक, रांची के पक्ष में बंधक रखी सम्पति को अपने कब्जा में लेकर ऋण एवं उधार के चुकता करने हेतु SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

उपायुक्त
कोडरमा।